

कार्यालय कलेक्टर, जिला अनूपपुर (म.प्र.)

आदेश

क्रमांक / 4850 / पांच/व.लि./2020:: मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक 3-2/99/1/4, दिनांक 30 मार्च, 1999 द्वारा सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग दो के अनुक्रमांक-4 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, (चंद्रमोहन ठाकुर, कलेक्टर, जिला अनूपपुर) वर्ष 2021 के लिये अनूपपुर जिले में निम्नांकित दिवसों को स्थानीय अवकाश घोषित करता हूँ :-

क्रमांक	दिनांक	दिन	त्यौहार का नाम
1	2	3	4
1	19 फरवरी 2021	शुक्रवार	मां नर्मदा जयन्ती (नर्मदा महोत्सव)
2	30 मार्च 2021	मंगलवार	होली का दूसरा दिन
3	05 नवम्बर 2021	शुक्रवार	दीपावली का दूसरा दिन

2/- उपरोक्त स्थानीय अवकाश, कोषालय/उपकोषालयों तथा बैंकों पर लागू नहीं होंगे।

(चन्द्रमोहन ठाकुर)
कलेक्टर

जिला अनूपपुर (म.प्र.)

पृ.क्रमांक / 4850 / पांच/व.लि./2020
प्रतिलिपि :- अनूपपुर, दिनांक 23. दिसम्बर, 2020

1. सचिव, मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, भोपाल।
2. सचिव, मध्य प्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय, भोपाल।
3. प्रमुख राजस्व आयुक्त, माध्यमिक शिक्षा मण्डल परिसर म.प्र. भोपाल।
4. रजिस्ट्रार उच्च न्यायालय, म.प्र.जबलपुर।
5. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर।
6. महालेखाकार, मध्य प्रदेश ग्वालियर।
7. आयुक्त, शहडोल संभाग-शहडोल।
8. समस्त कलेक्टर(मध्य प्रदेश)
9. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला अनूपपुर।
10. समस्त जिला स्तरीय अधिकारी
11. समस्त प्रभारी अधिकारी/कार्यालय प्रमुख
12. समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
13. समस्त तहसीलदार,
14. समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
15. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पचायत
16. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, जिला अनूपपुर की ओर सूचनार्थ।
17. सहायक संचालक सूचना, जिला जनसम्पर्क कार्यालय अनूपपुर की ओर स्थानीय समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशनार्थ।

जिला अनूपपुर।
जिला अनूपपुर।
जिला अनूपपुर।
जिला अनूपपुर।
जिला अनूपपुर।
जिला अनूपपुर।

कलेक्टर
जिला अनूपपुर (म.प्र.)